भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 482
5 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: विरोध प्रदर्शन के कारण किसानों की मृत्यु

482. श्री संजय सिंहः

श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास नवम्बर, 2020 से जनवरी 2021 के बीच तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के विरोध प्रदर्शन में किसानों की मृत्यु और आत्महत्या से जुड़े मामलों की कुल संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों पर अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता प्रदान की है या प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस प्रश्न में उठाए गए मुद्दे पर ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जो दी जा सके। तथापि, दिल्ली पुलिस ने यह भी सूचित किया है कि नवम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 तक तीन कृषि विधेयकों के विरूद्ध चल रहे आंदोलन के दौरान आंदोलनरत दो लोगों की मृत्यु हुई और एक व्यक्ति ने आत्महत्या की।

(ख): तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिल्ली की ओर आने वाले किसानों पर दिल्ली पुलिस ने समाप्त (एक्सपायर्ड) हो चुके आंसू गैस के गोलों का उपयोग नहीं किया।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

****